हुक्म या कार्यवाही मय ...

तारीख हुक्म	
28-8-22	~~पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं।~~ आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। ~~अभिभाषणगण अन्य कार्य मे व्यस्त है।~~ अतः पत्रावली साबिक ~~कन्डोलेन्स पर है।~~ कार्यवाही हेतु दिनांक 2-9-22 को पेश हों।
2-9-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। ~~अभिभाषणगण अन्य कार्य मे व्यस्त है।~~ अतः पत्रावली साबिक ~~कन्डोलेन्स पर है।~~ कार्यवाही हेतु दिनांक 4-11-22 को पेश हों।
4-11-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. वास्ते बहस वादी अधिवक्ता समय चाहा गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25-11-22 को पेश हो
25-11-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अवकाशवश ~~राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है।~~ ~~अभिभाषणगण अन्य कार्य मे व्यस्त है।~~ अतः पत्रावली साबिक कन्डोलेन्स पर है। कार्यवाही हेतु दिनांक 13-1-23 को पेश हों।
13-1-23	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. बहस अंतिम वाद-पत्र सुनी गई वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

24/दावा/2014
दायरा दिनांक 5.03.2014

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. हरिराम आत्मज नेनूलाल जाति मीणा
2. श्योजी आत्मज नेनूलाल जाति मीणा मृतक जरिये कायम मुकामान्

2/1. मनभर बाई बेवा स्वर्गीय श्योजी जाति मीणा निवासी केमल्या
2/2. राकेश आत्मज स्वर्गीय श्योजी जाति मीणा निवासी केमल्या
2/3. छोटूलाल आत्मज स्वर्गीय श्योजी जाति मीणा निवासी केमल्या
2/4. हनुमान आत्मज स्वर्गीय श्योजी जाति मीणा निवासी केमल्या
2/5. ममता पुत्री स्वर्गीय श्योजी जाति मीणा निवासी केमल्या
2/6. आशा पुत्री स्वर्गीय श्योजी जाति मीणा निवासी केमल्या तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज

3. मेजीराम आत्मज नेनूलाल जाति मीणा
4. बिरधीबाई बेवा मदन जाति मीणा
5. मस्तराम आत्मज मदन जाति मीणा
6. सुरेश आत्मज मदन जाति मीणा
7. प्रसन्न बाई पुत्री मदन जाति मीणा
8. मंजू बाई पुत्री मदन जाति मीणा निवासीगण ग्राम केमल्या, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

बनाम

1. रामविलास आयु 55 वर्ष आत्मज बद्रीलाल उर्फ बिरधा जाति तेली
2. प्रहलाद आयु 50 वर्ष आत्मज बद्रीलाल उर्फ बिरधा जाति तेली मृतक जरिये कायम मुकामान्

2/1. संतोष बाई पत्नी स्वर्गीय प्रहलाद जाति तेली
2/2. संजय कुमार आत्मज स्वर्गीय प्रहलाद जाति तेली
2/3. विमल कुमार आत्मज स्वर्गीय प्रहलाद जाति तेली
2/4. गौरीशंकर आत्मज स्वर्गीय प्रहलाद जाति तेली
2/5. गायत्री पुत्री स्वर्गीय प्रहलाद जाति तेली

3. बेनीप्रसाद आयु 45 वर्ष आत्मज बद्रीलाल उर्फ बिरधा जाति तेली

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

4.कौशल्या आयु 40 वर्ष आत्मज बद्रीलाल उर्फ बिरधा जाति तेली

5.श्रीमान उपपंजीयक महोदय, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

6.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धाराः— 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितः— 1.श्री किशनलाल जैन (एडवोकेट)

2.श्री त्रिलोकी नाथ (एडवोकेट)

<u>निर्णय</u> **दिनांकः—13.01.2023**

वादीगण ने वाद—पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर वाके ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी क्रम 1 लगायत 3 एवं वादी क्रम 4 के पति व वादी क्रम 5 लगायत 8 के पिता स्वर्गीय मदन ने दिनांक 23.06.1987 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खातेदार बिरधा उर्फ बद्री आत्मज जगन्नाथ जाति तेली निवासी नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था वक्त खरीद से वादीगण कब्जा काश्त चले आ रहे हैं। वाद वर्णित भूमि क्रय करते समय बैंक रहन दर्ज थी जिसके कारण नामान्तरण की कार्यवाही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई मूल खातेदार बिरधा उर्फ बद्री की मृत्यु की उपरांत राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिरधा उर्फ बद्री के वारिसान के नाम खोल दिया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने से बदनियति से बेईमानी पूर्वक वाद वर्णित भूमि को खुर्द—बुर्द करने को आमादा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि क्रयशुदा एवं कब्जेकाश्त कृषि भूमि भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बिरधा उर्फ बद्रीलाल के वारिसान का नाम विलोपित कराया जाकर अपना नाम दर्ज करावें। अन्त में निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश करते हुए विवादित भूमि में हिस्सा 1/5 भाग पर कब्जा काश्त होना जाहिर किया गया शेष प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नहीं किया गया जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

वादीगण ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2046–49 ग्राम नान्ता प्रदर्श 1, मूल विक्रय दस्तावेज दिनांक 23.06.1987 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2066–69 प्रदर्श 3, एवं क्रेता मदनलाल का मृत्यु प्रमाण–पत्र रहन मुक्ति की रसीद की छायाप्रतियां पेश की हैं। मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 हरिराम, पीडब्ल्यू 2 श्योजी राम, पीडब्ल्यू 3 तुलसीराम के साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किए हैं।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए विवादित वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर वाके ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ़ की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद–पत्र का तनकी वार निस्तारण इस प्रकार किया जाता है।

1.आया वाद विषयक कृषि भूमि श्री मदन ने दिनांक 23.06.1987 को पूर्व खातेदार बिरधा उर्फ बद्री से 8500 रूपये प्रतिफल की एवेज में रजि. विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत् 2046–49 के अनुसार ग्राम नान्ता पटवार हल्का दौलतपुरा के खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर की खातेदारी बिरधा उर्फ बद्री पुत्र जगन्नाथ कौम तेली साकिन नया गांव के दर्ज रिकॉर्ड थी एवं बैंक ऑफ बडौदा शाखा लाखेरी के रहन दर्ज थी। पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या 112 दिनांक 23.06.1987 के अनुसार खातेदार बिरधा उर्फ बद्री पुत्र जगन्नाथ ने कृषि भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर सम्पूर्ण का बेचान वादीगण हरिराम व श्योजी, मोजीराम एवं मदन को कर दी थी। उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर ग्राम नान्ता दिनांक 25.06.2013 को नामान्तरकरण संख्या 602 से रहन मुक्त हुई थी। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2.आया वादीगण श्री मदन के वारिसान है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। संदर्भित विक्रय पत्र में अंकित क्रेतागणों में से मोजीराम व हरिराम जीवित हैं व वाद–पत्र में वादी संख्या 1 व 3 पर अंकित हैं। उनके साक्ष्य व बयानात में वादी 4 लगायत 8 स्वर्गीय श्री मदन के वारिसान होना अंकित हैं एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब दावे में इस बावत कोई खण्डन नहीं किया है इस आधार पर तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3.आया बैंक ऑफ बडौदा शाखा लाखेरी का रहन का नोट हटाने की जिम्मेदारी बिरधा की थी। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। विवादित आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर बेचान के समय बैंक रहन दर्ज थी। इस प्रकार यह तनकी संख्या 1 के आधार पर वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4.आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वाद विषयक आराजी रहन विक्रय करने पर आमादा है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

प्रस्तुत जवाब दावे में कथन किया कि विवादित आराजी के आंशिक हिस्से 1/5 पर उसका कब्जा है एवं राजस्व जमाबंदी में बतौर खातेदार होने से इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी रहन–विक्रय करने की कोशिश की हो। इस प्रकार तनकी संख्या 4 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5.आया वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में हिस्सा 1/5 भाग पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 3 का है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर है। प्रतिवादी संख्या 3 कब्जा काश्त बाबत् कोई साक्ष्य सबूत पेश करने में असफल रहा है अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकी वार विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित उक्त कृषि भूमि को वादीगण एवं वादीगण के पूर्वजों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर ग्राम नान्ता के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादी संख्या 1 हरिराम हिस्सा 1/4, वादी संख्या 3 मोजीराम पुत्र नेनूलाल हिस्सा 1/4, वादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/6 प्रत्येक को हिस्सा 1/24–1/24 एवं वादीगण संख्या 4 लगायत 8 को हिस्सा 1/20–1/20 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नान्ता में स्थित खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार के दखलअंदाजी नहीं करें न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
लाखेरी जिला बून्दी

प्राथमिक डिकी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम...........................लाखेरी..................व

इजलास.......................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)...

1 हरिराम आ0 नेनूलाल जाति मीणा
2 श्योजी आ0 नेनूलाल जा0 मीणा मुतक जरिये कायम मु0
2/1 मनभर बाई बेवा स्व0श्योजी जा0 मीणा नि0 केमल्या
2/2 राकेश आ0 स्व0 श्योजी जा0 मीणा नि0 केमल्या
2/3 छोटूलाल आ0 स्व0 श्योजी जा0 मीणा नि0 केमल्या
2/4 हनुमान आ0 स्व0 श्योजी जा0 मीणा नि0 केमल्या
2/5 ममता पुत्री स्व0 श्योजी जा0 मीणा नि0 केमल्या
2/6 आशा पुत्री स्व0 श्योजी जा0 मीणा नि0 केमल्या
तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3 मोजीराम आ0 नेनूलाल जा0 मीणा
4 बिरधी बाई बेवा मदन जाति मीणा
5 मस्तराम आ0 मदन जाति मीणा
6 सुरेश आ0 मदन जाति मीणा
7 प्रसन्न बाई पुत्री मदन जाति मीणा
8 मंजू बाई पुत्री मदन जा0 मीणा नि0 ग्राम केमल्या
तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
(वादी)

बनाम 1 रामविलास आ0 बद्रीलाल उर्फ बिरधा जाति तेली
2 प्रहलाद आ0 बद्रीलाल उर्फ बिरधा जा0 तेली मुतक कायम मुकामान्
2/1 संतोष बाई पत्नी स्व0 प्रहलाद जाति तेली
2/2 संजय आ0 स्व0 प्रहलाद जाति तेली
2/3 विमल आ0 स्व0 प्रहलाद जाति तेली
2/4 गौरीशंकर आ0 स्व0 प्रहलाद जाति तेली
2/5 गायत्री पुत्री स्व0 प्रहलाद जाति तेली
3 बेनीप्रसाद आ0 बद्रीलाल उर्फ बिरधा जाति तेली
4 कौशल्या आ0 बद्रीलाल उर्फ बिरधा जाति तेली
5 श्रीमान उपपंजीयक महोदय, इन्द्रगढ जिला बून्दी
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 88,89, 188 आर0टी0एक्ट।.........................

....सन...

मुकदमा नम्बर...............................24/दावा/2014.....................................हमरे..

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...

............व हाजिरी

1.श्री किशन लाल जैनएडवोकेट(वादी)..।मिनजानिब मुद्दई .श्री त्रिलोकी नाथ एडवोकेट.....

....

....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर ग्राम नान्ता के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादी संख्या 1 हरिराम हिस्सा 1/4, वादी संख्या 3 मोजीराम पुत्र नेनूलाल हिस्सा 1/4, वादीगण संख्या 2/1 लगायत 2/6 प्रत्येक को हिस्सा 1/24–1/24 एवं वादीगण संख्या 4 लगायत 8 को हिस्सा 1/20–1/20 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम नान्ता में स्थित खसरा संख्या 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार के दखलअंदाजी नहीं करे न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।.................. ....बाबत...................खर्चा

....निज.................................मुबलिग...

....फीसदी सालाना आज की तारीख से

इन मुकदमें के मय सूद बशरह ....

तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।

....को जारी की

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..13....माह.......01........ सन..2023.......................

गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
म्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)